पुनरीक्षण सिविल

न्यायमूर्थी सी. जी. सूरी के समक्ष

मंडल कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे, डीएस कार्यालय, नई दिल्ली, याचिकाकर्ता

बनाम

प्रीतम सिंह, - *प्रतिवादी।*

1970 का नागरिक संशोधन संख्या 1249।

28 सितंबर, 1971।

अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम (1958 का XX) - धारा 4 और 12 - भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, खंड II - नियम 2044 (2) *- मजदूरी भुगतान अधिनियम (*1936 का IV*) - धारा 7* और 15 *- भारतीय रेलवे* कर्मचारी को उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित रहने के दौरान निलंबित कर दिया गया है *- एक कर्मचारी जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है, लेकिन अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत निपटा गया है - चाहे उसे भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान संहिता के नियम* 2044 (2) *के तहत "पूरी तरह से दोषमुक्त" ठहराया गया हो - निलंबन की अवधि के दौरान अपनी पूर्ण मासिक परिलब्धियों को रोकना - अधिनियम की धारा 12 के अर्थ के भीतर अयोग्यता और धारा* 7 *और* 15 के तहत कटौती है। मजदूरी संदाय अधिनियम के *बराबर है।*

यह माना जाता है कि यदि किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी लोक सेवक को अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के मद्देनजर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत निपटाया जाता है, तो उसे किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता है जो अन्यथा अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि से जुड़ा होता। जहां भारतीय रेलवे के किसी कर्मचारी को उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित रहने के दौरान निलंबित कर दिया जाता है और दोषी ठहराए जाने पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत निपटा जाता है, तो उसे भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, धारा 2 के नियम 2044 (2) के अर्थ के भीतर "पूरी तरह से दोषमुक्त" माना जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब यह होगा कि अयोग्यता को अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि के साथ जोड़ा जा रहा है और कर्मचारी से अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों का पूरा लाभ रोका जा रहा है। ऐसा कर्मचारी निलंबन की अवधि के दौरान पूर्ण वेतन और परिलब्धियों का हकदार होता है। यदि उसकी मासिक परिलब्धियों का एक हिस्सा उससे छीन लिया जाता है, तो उसे अपनी दोषसिद्धि के साथ अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा जो अधिनियम की धारा 12 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा।
मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 7 और 15 के अर्थ के भीतर कटौती।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 *के तहत सीपीसी* की धारा 115 के तहत याचिका में *प्रार्थना की गई थी कि जिस याचिका को उन्होंने अनुमति दी है, और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीतम सिंह जैन और वीएम जैन पेश हुए।

प्रीतम सिंह (व्यक्तिगत रूप से)।

आदेश

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका, जिसे नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के साथ पढ़ा जाता है, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (इसके

बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत नियुक्त प्राधिकरण के आदेश की अपील पर पुष्टि की गई है, जिसके तहत मजदूरी की कटौती की वसूली के लिए दावा किया गया है। प्रीतम सिंह को प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत दायर किया गया था, जिसे धारा 7 के साथ पढ़ा जाता है। आक्षेपित आदेशों द्वारा, प्रतिवादी जो उत्तर रेलवे का कर्मचारी है, को 28 जुलाई 1965 से 18 नवंबर 1965 तक निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन प्राप्त करने का हकदार घोषित किया जाता है।

(दो) प्रतिवादी अंबाला में ट्रेन क्लर्क के रूप में याचिकाकर्ता की सेवा कर रहा था। कार्यालय में एक सहकर्मी के साथ उनका झगड़ा हुआ था और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 506 और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 120 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उस आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान सेवा से निलंबन का आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादी को ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन अपील पर उसे अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया था। निर्धारित अवधि के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा का विधिवत अनुपालन किया गया है और छुट्टी दे दी गई है।

(तीन) भले ही प्रतिवादी को आपराधिक मामले के अंतिम निर्णय से पहले बहाल किया गया था, लेकिन उसे निलंबन की अवधि के दौरान ही निर्वाह भत्ता लेने की अनुमति है। इस गुजारा भत्ता और पूर्ण मासिक परिलब्धियों के बीच का अंतर जो उससे रोक दिया गया था, प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 7 और 15 के अर्थ के भीतर 'कटौती' के रूप में वर्णित किया गया था और इसलिए, प्रतिवादी ने दावा दायर किया।

अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत प्राधिकरण। प्राधिकरण द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया गया है और अंबाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अपील पर आदेश की पुष्टि की गई है। प्राधिकरण ने वेतन के एक हिस्से को रोकने के लिए मुआवजे के रूप में 200 रुपये की राशि की अनुमति दी थी, लेकिन मुआवजे के रूप में दी गई इस राशि को अंबाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा केवल 10 रुपये की राशि तक घटा दिया गया है।

(चार) उस याचिकाकर्ता के वकील श्री जैन का तर्क है कि निलंबन की अवधि के दौरान प्रतिवादी से रोके गए मासिक परिलब्धियों में अंतर अधिनियम की धारा 7 और 15 के अर्थ के भीतर कोई कटौती नहीं है, क्योंकि इस अवधि के दौरान, प्रतिवादी निर्वाह भत्ते के अलावा कुछ भी प्राप्त करने का हकदार नहीं था। वह इस *संबंध में मंडल* अधीक्षक उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल बनाम दिल्ली मंडल के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करते हैं। *मुकंद लाई* (1)। इस निर्णय से यह स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारी को बहाली से पहले सभी दायित्वों से मुक्त किया गया था या नहीं। निलंबन केवल लगभग एक पखवाड़े की अवधि तक चला और यह हो सकता है कि उस स्थिति में पाए गए भंडार की कमी को हल्के दंड के साथ पूरा किया गया था या नियोक्ता ने कर्मचारी द्वारा खेद की अभिव्यक्ति को स्वीकार कर लिया था और दायित्व से इतना पूर्ण निष्कासन नहीं था कि कर्मचारी निलंबन की अवधि के दौरान पूर्ण वेतन और परिलब्धियों का हकदार हो सके। उस विशेष मामले के अजीब तथ्यों पर यह निष्कर्ष निकालना उचित लग सकता है कि निर्वाह भत्ता और पूर्ण वेतन के बीच के अंतर को रोकना कटौती के बराबर नहीं था और निलंबन की अवधि के लिए, कर्मचारी निर्वाह भत्ते के अलावा कुछ भी प्राप्त करने का हकदार नहीं था। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 को *मुकंद लाई के मामले में फैसले के बाद कानून की किताब में लाया* गया था और पूर्ण पीठ इस बारे में कोई राय देने की स्थिति में नहीं थी कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों ने कानूनी स्थिति को कितना प्रभावित किया होगा। इसलिए, मैं विद्वान अतिरिक्त जिला ^ न्यायाधीश से सहमत हूं कि *मुकंद एलवी के मामले में पूर्ण पीठ का निर्णय* वर्तमान मामले पर अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 और 12 के प्रभाव को निर्धारित करने में हमारे लिए सहायक नहीं है। श्री जैन ने तब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें उन्होंने *अकेल्ला सत्यनारायण मूर्ति* बनाम आंध्र *के मामले में फैसला सुनाया था।प्रदेश उच्च न्यायालय। जोनल मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम, मद्रास* (2). उस मामले में अधिकारियों को उनके आचरण के लिए बर्खास्त करने और उनकी बर्खास्तगी के बीच एक स्पष्ट अंतर किया गया था।

(एक) **एआईआर 1957 पी.बी.**

(दो) ए.आई.आर., 1969 ए.पी. 371.

आपराधिक अपराध का दोषी ठहराया गया। यदि बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप आपराधिक अपराध के लिए दोषसिद्धि हुई और कर्मचारी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया गया, तो बर्खास्तगी का आदेश अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1058 की धारा 12 के प्रावधानों के मद्देनजर दुर्बलता से ग्रस्त पाया गया। यह खंड निम्नानुसार चलता है: —

12. दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता को हटाना। किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी अपराध का दोषी पाया गया और धारा 3 या धारा 4 के प्रावधान के तहत निपटा गया व्यक्ति ऐसे कानून के तहत अपराध की सजा के साथ अयोग्यता, यदि कोई हो, का सामना नहीं करेगा:

बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जिसे धारा 4 के तहत रिहा होने के बाद, बाद में मूल अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है।

(पाँच) इस संबंध में, भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, खंड -2 के नियम 2044, जो 'पुन: विशेष के बाद वेतन' से संबंधित है, को भी लाभ के साथ यहां पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है: —

"2044 (एफआर 54) (1)। जब किसी रेलवे कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, या निलंबित कर दिया जाता है, तो बहाली का आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी विचार करेगा और एक विशिष्ट आदेश पारित करेगा-

(अ) ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए रेलवे कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्तों के संबंध में; और

(आ) उक्त अवधि को ड्यूटी पर खर्च की गई अवधि के रूप में माना जाएगा या नहीं।

(इक्कीस) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण की राय है कि रेलवे सेवक को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया ®गया है और निलंबन के मामले में, यह पूरी तरह से अनुचित था, रेलवे सेवक को पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, जिसके लिए वह हकदार होगा यदि उसे बर्खास्त, हटाया या निलंबित नहीं किया गया होता, जैसा भी मामला हो।

(छः) प्रतिवादी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत निपटाया गया था और उस अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के मद्देनजर, उसे किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता है।

जो अन्यथा अपराध के लिए दोषसिद्धि से जुड़ा हो सकता है। यदि वह रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2044 (2) के अर्थ के भीतर "पूरी तरह से दोषमुक्त" नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि हमने साधारण चोट पहुंचाने के अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि के लिए अयोग्यता संलग्न की है और हम प्रतिवादी से परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के पूर्ण लाभ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिवादी के पूरे वेतन का एक बड़ा हिस्सा रोकना उसकी दोषसिद्धि से जुड़ा उसकी अयोग्यता होगी और यह अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा और प्रतिवादी के मामले को रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2044 के उप-नियम (2) के तहत लाया जाना चाहिए ताकि वह पूर्ण वेतन और भत्ते का हकदार हो सके। आदि। इस संबंध में इकबाल सिंह बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। *पुलिस महानिरीक्षक* और अन्य (3), जिसमें यह माना गया था कि आपराधिक अपराध के दोषी ठहराए जाने के बाद किसी कर्मचारी की बहाली, जब उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया गया था, के परिणामस्वरूप *निलंबन के आदेश से पहले की स्थिति बहाल* होगी और सेवा से बर्खास्तगी का कोई भी आदेश परिवीक्षा की धारा 4 के तहत निपटाए गए आपराधिक अपराध के लिए दोषसिद्धि का अनुपालन नहीं करेगा। सका। अपराधियों की संख्या अधिनियम। उस मामले में, सेवा से बर्खास्तगी को अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के अर्थ के भीतर अयोग्यता के रूप में लिया गया था। *एम. गोपाल कृष्ण नायडू बनाम सुप्रीम कोर्ट के जज* भारत को यह कहते हुए खुशी हुई। *मध्य प्रदेश राज्य* (4), कि मौलिक नियम 54 (जो रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2044 से मेल खाता है) के तहत एक आदेश एक अर्थ में एक परिणामी आदेश है जिसे कर्मचारी की बहाली के आदेश के बाद पारित किया जाना है और सवाल यह है कि क्या कोई निश्चित मामला मौलिक नियम के एक या दूसरे खंड के भीतर आता है, सभी तथ्यों और परिस्थितियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई जांच पर निर्भर रहना पड़ता है। उस मामले में। यदि तथ्यात्मक निष्कर्ष यह है कि कर्मचारी को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया था या निलंबन के मामले में यह पूरी तरह से अनुचित था, तो मासिक वेतन और भत्तों के एक हिस्से को रोकने का आदेश कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और इसके परिणामस्वरूप अयोग्यता होगी। अब मेरे सामने मामले के तथ्यों पर, प्रतिवादी को अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत निपटाया गया था और इसलिए, वह किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं कर सकता है। यदि उसकी मासिक परिलब्धियों का एक हिस्सा उससे छीन लिया जाता है, तो वह

(3) एआईआर 1970 दिल्ली 240।
(4) एआईआर 1968 एस.सी.

अयोग्य घोषित किया गया और सक्षम प्राधिकारी का परिणामी निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी को किसी भी दायित्व से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है और उसका निलंबन पूरी तरह से अनुचित था। रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2044 के प्रावधानों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनिवार्य प्रावधानों के साथ मिलाने का कोई अन्य तरीका नहीं है।

(सात) तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका को लागत के साथ खारिज किया जाता है।

बीएसजी

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

अमृतबीर कौर

प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी

असंध, कर्नल
हरियाणा